न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री हँसमुख कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र :– 56/2018 (2018/00038)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
मंगलाराम पुत्र कोलाराम जाति विश्नोई निवासी गांव जागूवास भाचरणा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		1.कोलाराम पुत्र थानाराम 2.बाबुराम पुत्र कोलाराम 3.सुनिल पुत्र घेवरराम 4.कालीदेवी उर्फ अणची पत्नि कोलाराम जातियान विश्नोई, निवासीगण गांव जागूवास भाचरणा भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र धुन्धाड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर। 5.मोरा पुत्री कोलाराम पत्नी चिमाराम निवासी गांव फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 6.साऊ पुत्री कोलाराम पत्नी भंवरलाल निवासी गांव फींच तहसील लूणी जिला जोधपुर। 7.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर सेः– अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह।

अप्रार्थी संख्या 3 से 6 अनुपस्थिति।

अप्रार्थी संख्या 7 सरकारी पैराकोर

दिनांक :– 04.03.2026

– : : निर्णय : : –

1. प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की पुश्तैनी, पैत्रक कब्जा काश्त सुदा कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 209 रकबा 44 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 313 रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा ग्राम जागूवास तहसील लूणी में आई हुई है। जिसे आगे के पदों में विवादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है तथा अप्रार्थी संख्या एक के वारिस है यह है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में थानाराम पुत्र साहिबराम जी के कब्जा काश्त हक अधिकार की कृषि भूमि थी जिस पर थानाराम जी काश्त करते थे। थानाराम जी के स्वर्गवास के बाद उनके तमाम वारिस एवं उतराधिकारी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण काबिज हुए तथा संयुक्त रूप से काश्त करने लग गये। खसरा नम्बर 194 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 209 रकबा 44 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 313 रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा भूमि थानाराम जी की थी जिसमें प्रार्थी का 1/7 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/7–1/7 हिस्सा बनता था इसी अनुरूप काबिज हुए तथा काश्त करने लग गये तथा मौके पर प्रार्थी की ढाणीया बनी हुई है उक्त भूमियों पर प्रार्थी के दादा थानाराम की खातेदारी भूमि थी। अप्रार्थी संख्या 1 को यह भूमि जरिये उत्तराधिकारी थानाराम से प्राप्त हुई प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम ने अप्रार्थी संख्या 4 कालीदेवी उर्फ अणची से दूसरा विवाह कर लिया जिससे अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 व 6 का जन्म दुआ प्रार्थी की माता गेरा देवी का देहान्त वर्ष 2009 में हो गया अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम द्वारा अप्रार्थी संख्या 4 से किया गया विवाह कानूनन नल एण्ड वाईट (शून्य) विवाह होने से अप्रार्थी संख्या 1 से 6 अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी भूमि में हक व अधिकार प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी नही है प्रार्थी का उक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रत्येक का 1/7 हिस्सा नोशनल शेयर का बनता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा बनता है। प्रार्थी को मजबूर होकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को नोटिस तामिली हेतु भेजे जाकर तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता ईश्वरसिंह द्वारा वकालतनामा एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

2. अप्रार्थी संख्या 2 से 6 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपना जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थी संख्या 3 से 6 के जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपने जवाब में कथन किया की खेत खसरा नम्बर 194 रकबा 27 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 209 रकबा 44 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 313 रकबा 52 बीघा 11 बिस्वा ग्राम जांगूवास तहसील लूणी की उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी भूमि नहीं है, न ही प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा व काश्त रहा है। उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय से थानाराम के चारो पुत्रो के नाम दर्ज है, खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2011 से 2030 में कोलाराम पुत्र थानाराम का 1/4 हिस्सा दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि नहीं है प्रार्थी ने सारे तथ्य झुठे व गलत उल्लेखित किए है। उक्त कृषि भूमिया अप्रार्थी संख्या 1 की स्वय की स्वअर्जित कृषि भूमि है। प्रार्थी ने थानाराम पुत्र साहिबराम के कब्जे व काश्त के अधिकार की भूमि होना गलत बताया है रेवेन्यु रेकर्ड से स्पष्ट होता है कि सेटलमेन्ट के समय से थानाराम के चारो पुत्रों के नाम उक्त भूमि दर्ज है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नही किया है तथा न ही प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से काश्त की है। खतौनी बन्दोस्त में उक्त भूमि थानाराम के चारों पुत्रों के नाम दर्ज रही है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम का 1/4 हिस्सा बनता है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर कभी भी काश्त नही की है। क्योंकि उक्त भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम के नाम खातेदारी चली आ रही है। मौके पर अप्रार्थी संख्या एक की ढाणी बनी हुई है, न की प्रार्थी की ढाणी बनी हुई है। प्रार्थी का उक्त भूमि में 1/7 हिस्सा नहीं बनता है तथा उक्त भूमि पर आज भी मौके पर काश्त अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम ही है। प्रार्थी ने कभी भी उक्त भूमि पर काश्त नही की है। कानूनन का तयसुदा सिद्वान्त है कि पिता की स्वअर्जित सम्पति में पुत्र का उक्त कृषि भूमि में हक व अधिकार नही बनता है। इस कारण प्रार्थी का प्राथना पत्र चलने योग्य नही है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 कोलाराम की खातेदारी की भूमि है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपने हक व हिस्से की भूमि पर करीब 50–60 सालो से भी अधिक समय से उक्त भूमि पर काबिज है तथा काश्त कर रहे है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पैतृक भूमि होने का दावा पेश किया है लेकिन दावे के साथ ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि पैतृक हो। अप्रार्थी संख्या एक कोलाराम का कब्जा व काश्त है तथा स्वंय आज भी उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है अप्रार्थी संख्या एक कोलाराम उक्त भूमि का रेकोडेड खातेदार है इस कारण वो अपने हक व हिस्से की भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण व मुन्तकिल कर सकते है। जिसे कानूनन किसी भी व्यक्ति को रोकने का कतई अधिकार नही है। इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 किसी के बहकावे व दबाव में आकर बेचान करने का सवाल ही उठता है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा ही नही है तो उनके बेदखल करने का सवाल ही नही बनता है। प्रार्थी ने उक्त वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा उक्त भूमि को पुश्तैनी बताकर गलत तथयों के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को खातेदारी काश्तकार घोषित नही किया जा सकता। इस कारण ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्वान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते है क्योंकि प्रार्थी न तो खातेदार है न ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा है। इस कारण अपूर्णिय क्षति होना सवाल ही नही उठता है। अतः अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खें सहित खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ताओं की बहस सूनी गई। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुये उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने बहस में अपने अपने पक्ष प्रस्तुत किये। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि उक्त भूमि गलती से कोलाराम के नाम दर्ज हुई है प्रार्थी 1/7 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से वाद निस्तारण तक यथास्थिति बनाये रखा जाना आवश्यक है ताकि यदि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि का बेचान किया गया तो अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा बहस में कथन किया कि मिसल से स्पष्ट है कि उक्त भूमि के संबंध में पूर्व में पोते द्वारा अस्थायी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि खारिज हो चुका है। अतः अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है एवं जीवित रहते हुये प्रार्थी घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं होने से प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पत्रावली के अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनने के बाद यह स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड के अनुसार संवत 2011 से 203 खतौनी बंदोबस्त संलग्न अनुसार खसरा नंबर 194,209,313 बुकलिया राणा कोलिया हजारी पि. थाना कौम बिश्नोई सा देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि के पुश्तैनी होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत प्रार्थी द्वारा नहीं किया गया है। उक्त खसरान में वर्तमान खातेदार कोलिया का नाम प्रारंभ से ही दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला अप्रार्थी संख्या 1 का बनता है। अतः उपरोक्त आधार पर विवेचन के बाद अस्थाई निषेधाज्ञा के आश्वयक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपुर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी